

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी**  
**:: विविध-आदेश ::**

क्रमांक- ४३ / एक-५-३ / ८८

सीधी, दिनांक- २३/०४/२०२२

माननीय रजिस्ट्री, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के आदेश क्रमांक 329 एवं 333 दिनांक 31.03.2022 इस न्यायिक स्थापना पर निम्नानुसार रिक्त न्यायालयों में सिविल जज वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड सीधी की रिक्त न्यायालय में पदस्थापना किए जाने के फलस्वरूप, मैं अभिताभ मिश्र, प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी, मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिविल जिला सीधी के लिए इस संबंध में पूर्व के विविध आदेश क्रमांक ०१/एक-५-३/८८ दिनांक ०६.०१.२०२२ में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न आंशिक संशोधित कार्य विभाजन पत्रक जारी करते हूँ जो तत्काल प्रभावशील होगा:-

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार			
			१	२	३	४
१	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील-गोपदबनास				<ul style="list-style-type: none"> <li>१. ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>२. पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद।</li> <li>३. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रुप से अधिक व एक करोड़/-रु. मूल्य तक के मामले।</li> <li>४. रुपये 500/- तक के सभी लघुवाद।</li> <li>५. रुपये पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ से कम मूल्य के अपकृत्य विधि से उत्पन्न प्रकरण।</li> <li>६. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172(1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</li> <li>७. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण।</li> <li>८. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।</li> </ul>
२	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील-सिहावल, बहरी				<ul style="list-style-type: none"> <li>१. ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>२. पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये मूल्य तक के सिविल वाद।</li> <li>३. भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रुप से अधिक व एक करोड़/-रु. मूल्य तक के मामले।</li> <li>४. रुपये 500/- तक के सभी लघुवाद।</li> <li>५. रुपये पांच लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ से कम मूल्य के अपकृत्य विधि से उत्पन्न प्रकरण।</li> <li>६. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 139(1) तथा 172(1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।</li> <li>७. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रकरण।</li> <li>८. उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।</li> </ul>

कार्य विभाजन पत्रक सिविल जिला सीधी वर्ष-2022 (संशोधित-।)

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	वादों का प्रकार			
			१	२	३	४
३	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सीधी	तहसील— गोपदबनास				<ol style="list-style-type: none"> <li>ऐसे समस्त प्रकरण, जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>पांच लाख रुपये मूल्य तक के सिविल वाद।</li> <li>पांच लाख रुपये मूल्य तक के अपकृत्य विधि से उत्पन्न मामले।</li> <li>पांच लाख रुपये तक के भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत सिविल मामले।</li> <li>उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।</li> </ol>
४	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चुरहट	—				<ol style="list-style-type: none"> <li>वे समस्त प्रकरण, जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।</li> </ol>
५	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, चुरहट	तहसील चुरहट				<ol style="list-style-type: none"> <li>वे समस्त प्रकरण, जो समय—समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें।</li> <li>पांच लाख रुपए मूल्य तक के सिविल वाद।</li> <li>भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत पांच लाख रुपये मूल्य तक के वाद।</li> <li>पांच लाख रुपए मूल्य तक के अपकृत्य विधि के मामले।</li> <li>उक्त मामलों से एवं उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत दीवानी प्रकृति के मामलों से उद्भूत सभी विविध एवं निष्पादन प्रकरण।</li> </ol>

:: चार्ज प्रभार ::

सिविल कोर्ट एक्ट की धारा 21 (4) के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में आवश्यक सिविल कार्य के लिए पूर्व के आदेशों अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो तत्काल से प्रभावशील होगा:-

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क्र. ३ के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
१	२	३	४
१.	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी
२.	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी,	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी
३.	तृतीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी	द्वितीय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी,	प्रथम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड, सीधी
४.	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी न्यायालय के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त सिविल जज, सीधी	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी

कार्य विभाजन पत्रक सिविल जिला सीधी वर्ष-2022 (संशोधित- )

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क. 3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
5.	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी,	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी न्यायालय के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त सिविल जज, सीधी
6.	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी न्यायालय के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त सिविल जज, सीधी	चतुर्थ सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड, सीधी
7.	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
8.	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट
9.	तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट	द्वितीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट

नोट- (1) शेष आदेश/निर्देश एवं चार्ज प्रभार सिविल जिला सीधी के लिए वर्ष 2022 में जारी सिविल कार्य विभाजन पत्रक का विविध-आदेश क्रमांक 01 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार रहेगा।

  
 (अमिताभ मिश्र)  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 सीधी

पृ.क.- १११ / एक-५-३/८८

सीधी, दिनांक २३/०४/२०२२

**प्रतिलिपि:-**

- प्रथम/द्वितीय/तृतीय, सिविल जज वरिष्ठ खण्ड सीधी,
- तृतीय/चतुर्थ/चतुर्थ अतिरिक्त सिविल जज कनिष्ठ खण्ड सीधी,
- प्रथम/द्वितीय/तृतीय सिविल जज कनिष्ठ खण्ड चुरहट,
- रीडर, प्रधान जिला न्यायाधीश सीधी  
—की ओर संशोधित सिविल कार्य विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट की ओर संशोधित सिविल कार्य विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग सीधी की ओर इस न्यायिक स्थापना की वेबसाइट/समरत संबंधितों की ईमेल आई.डी. पर अपलोड कराए जाने हेतु प्रेषित।

  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 सीधी